बदलेगा बिहार **बढ़ेगा बिहार**

"मैं बदलूंगा बिहार"

हेतु

संकल्प पत्र

पप्पू यादव

संरक्षक

जन अधिकार पार्टी लो0

बदलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार का निहितार्थ

अतीत का विश्व गुरू बिहार। भारत की आजादी के वक्त देश का सबसे उन्नत राज्य बिहार!! आज, आजादी के 68 वर्श मानव विकास सूचकांक की हर पायदान मे वह बिहार सबसे नीचे है। क्यों????? क्योंकि नेताओं और अफसरों की मिली भगत से हुई लाखों करोड़ों रुपए की लूट ने राज्य के उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप आज बिहार पैसे पैसे के लिए तरस रहा है। राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए इसे मुद्दा तो बना लिया गया है किंतु इमानदारी से इसका हल ढूंढ़ने का प्रयत्न कोई राजनीतिक दल नही कर रहे हैं।

बिहार को इस अर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक एक अनूठा पहल करगी। सबसे पहले एक विशेश जांच समिति का गठन करेंगे जो

नेताओं–अधिकारियों–कर्मचारियों तथा उनके परिजानों का संप्पत्ति जांच करेगे कि पिछले पच्चीस सालों मे उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी।

राज्य को प्रत्येक वर्श औसतन डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपए मिलते हैं विभिन्ना देशी–बिदेशी संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के विकास के लिए। पिछले 25 सालों मे कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए तो बिहार को मिला ही है। हम सब यह जानते है कि विकास फंड का आधा से अधिक पैसा नेताओं, बिचौलियों, अधिकारियों, और कर्मचारियों के खाते मे चला जाता है। इस हिसाब से कम से कम 12–13 लाख करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इन लोगें के पास जमा है। और इस 12–13 लाख का लगभग अस्सी फीसद यानी आठ से दस लाख करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ सौ लोगों के कब्जे मे है। हम इन सौ लागों को चिन्हित करके, जांच समिति के रिपोर्ट के आलोक मे उनकी संपत्ति जब्त करेंगे जो कम से कम 4–5 लाख करोड़ रुपए को होगा। अब सोचिए बिहार की विकास के लिए पैसों की कमी रहेगी!

इस गणित को दूसरे तरीके से समझना है तो ऐसे समझिएः

अधिकारियों के सर्कल मे आप किसी को भी कांफिडेंस मे लेकर पूछिए तो पता चलेगा कि एक डीडीसी जो जिला स्तर का अधिकारी होता है वह महीने का कम से कम एक करोड़ रुपए रिश्वत के रूप मे जमा करता है विभिन्न प्रकार से। अब पूरे राज्य के तमाम रिश्वतखोर अफसरों और नेताओं की अवैध कमाई को जोड़ कर देखिए....बिहार के विकास के लिए कही और से फंड की आवश्यकता ही नही पड़ेगा।

अब हम बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि कैसे इस धन से बदलेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार।

छात्र–युवाओं का अधिकार, उत्तम शिक्षा और रोजगारः

- राइट टू एडुकेशन की जगह कंपलसरी एडुकेशन किया जाएगा ताकि 14 साल तक के हर बच्चे को भी स्कूल अटेंड करना कंपलसरी होगा जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसके अभिवावकों को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और उनको मिलने वाली संभावित सरकारी सुविधाओं में कटौती भी की जा सकती है और साथ में कक्षा छः तक नैतिक शिक्षा को भी कंपलसरी किया जाएगा।
- कोठारी आयोग और मुचुकंद द्विवेदी आयोग द्वारा अनुशंसित सिफ़ारिशों के आधार पर समान शिक्षा कानून लागू करेंगे।
- सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
- मैट्रिक में टॉप–टेन बच्चे को उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार उठायेगी।

- सालाना एक लाख रूपये तक के आमदनी वाले छात्रों को ग्रेजुएशन करने पर मुफ्त लैपटॉप और प्रत्येक मेडिकल ध्इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय और कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी को वाई–फ़ाई फ्री जोन बनाया जाएगा।
- सालाना 2 लाख की कम की आमदनी वाले माता–पिता की संतान को सातवीं से दसवीं कक्षा तक के ट्यूटोरियल ध्कोचिंग का खर्च सरकार देगी जब तक कि समान शिक्षा कानून की पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता और निजी ट्यूशन ध्कोचिंग बंद नहीं हो जाता ᑊ
- बिहार की सड़कों कों छात्रों और किसानों के लिए टोलफ्री किया जाएगा।
- प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक के पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए जाएंगे ताकि प्रत्येक स्नातक को कहीं न कहीं रोजगार मिल सके और नैतिकवान नागरिक बन सकें।
- यूपीएससी के पैटर्न पर उच्च स्तरीय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक अलग संस्था का गठन किया जाएगा जो कठिनतम परीक्षा के बाद शिक्षकों को नियुक्त करेगी। बिहार में शिक्षक बनने को उतना ही प्रतिष्ठित और कठिन बनाएँगे जितना कि मेडिकल और इंजीनियरिंग है।
- 2 महीने के अंदर Registration/ Admission डोनेशन को समाप्त किया जाएगा।
- 2 साल के अंदर शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी सरकार अपने हाथों लेगी।
- प्रतियोगिता परीक्षा में जाने वाले छात्रों को यात्रा करने के दौरान फ्री रेल पास दी जायेगी।
- दो साल के अंदर विद्यालय एवं महाविद्यालय 100% शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जायेगी।
- राज्य में चल रहे लॉजिंग सिस्टम को सुव्यवस्थित करेंगे और लॉज रेंट को सीमित किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय में सुभाष चंद्र बोस के नाम से यूथ हॉस्टल खोला जायेगा ताकि जिला मुख्यालयों मे गांव से आने वालो छात्रों को लॉजमालिा शोशण न कर पाएं।
- विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कलेंडर पूर्ण रूप में लागू की जायेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा पूर्णरूपेण लागू की जायेगी। कदाचार करते पकड़े जाने पर छात्र को दो वर्ष के लिए परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा तथा केन्द्राधीक्षक एवं विधालय महाविधालय परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेवार करार देते हुए विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

- शिक्षा लोन में यदि बैंक 15 दिनों के अंदर स्वीकृत भी करती हैं एवं शिक्षा लोन अभ्यर्थी शिकायत करती है, तो उसपर क्रिमनल केस प्रताड़ना केस भ्रष्टाचार केस वगेरह की जायेगी।
- सभी स्तरों के स्कूल में खेल का विषय अनिवार्य किया जायेगा।
- क्षेत्रीय खेलों का अत्यधिक बढ़ावा दी जायेगी।
- प्रत्येक प्रखण्ड में इंडोर स्टेडियम बनायी जायेगी।
- नेशनल खिलाड़ियों को 10 लाख तथा ओल्मपिक खिलाड़ी को 50 लाख रुपया सकरार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।
- जिला रोजगार केंद्र को ब्लॉक स्तर तक विस्तारित करेंगे और इसे प्लेसमेंट एजेंसी का स्वरूप दिया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगार छात्रों–युवाओं की काऊंसलिंग की जाएगी ताकि उन्हें निजी क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके।

स्त्री, दलित और अल्यसंख्यक चिंतन

- लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।
- सरकार की ओर से स्त्रियों को सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी प्रबन्धन, चालक प्रशिक्षण, बस एवं वैन कंडक्टर, हाउस कीपिंग और पैंट्री जैसे गैरपारंपरिक रोजगार मूलक कार्यक्षमता के लिए निरूशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्लेसमेंट का उपाय किया जाएगा।
- प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला थाना बनाया जाएगा।
- पुलिस नियुक्ति मे महिलाओं को 33 प्रतिशत अरक्षण दिया जाएगा।
- छात्राओं को स्कूटी खरीद पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी और सेलटैक्स की छूट दी जाएगी।
- सिर्फ दो बच्चियों के माता–पिता को आदर्श माता–पिता के रूप में सम्मानित किया जेएगा जिसमें दोनों बच्ची के नाम से 50–50 हजार रुपया दी जायेगी ५
- लड़कियों का स्कूल में नामांकन कराते हीं एक लाख का बीमा हो जाएगा जो बारहवीं पास करते हीं मिल जाएगा। बारहवीं के बाद 50 हजार और स्नातक के बाद एक लाख रुपए और मिलेंगे।
- प्रत्येक प्रखंड में महिला कॉलेज छात्रावास सहित स्थापित की जायेगी।

- प्राकृतिक संसाधन से जुड़ें प्रत्येक टेंडर में दलितों और अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों को 60 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- दलित और अल्पसंख्यक छात्रों एवं बिहार की सभी जाति की गरीब छात्राओं को दशरथ मांझी तकनीकी शिक्षा योजना के तहत मुफ्त तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इन सभी को शिक्षा पश्चात राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्लेसमेंट काउंसिलिंग एजेंसी से जोड़ा जाएगा जिससे उनको समुचित रोजगार प्राप्त हो सके।
- प्रत्येक तालीमी मरकज और मदरसों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।
- सच्चर कमिटी सिफ़ारिशें तीन महिना होने के अंदर लागू की जाएगी।
- अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धार्मिक अपशब्द से अपमानित न होने देने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।

जिनके दम पर हम जीते हैं; हमारे किसान भाईयों के लिएः

- लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड और ऑनलाइन किया जाएगा ।
- डी बंधोपाध्याय रिपोर्ट के आधार पर भूमि सुधार और बट्टेदारी कानून लागू करेंगे।
- जमीन संबंधी विवादों को अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक 6 माह में निबटारा करायेगी। और निर्णय को 1 माह के अंदर उसे लागू की जाएगी।
- दो बीघा तक के किसानों को मुफ्त बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधा दी जाएगी ।
- तीन बीघा तक के किसानों को सिंचाई के लिए साल में 100 लीटर तक डीजल अथवा 500 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी तथा मुफ्त बीज और उर्वरक में 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
- 5 बीघा तक के किसान को सिंचाई के लिए 60 लीटर तक डीजल अथवा 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी तथा मुफ्त बीज और उर्वरक में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

- फसल बीमा के अतिरिक्त, बाढ़–सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा आने पर 5 बीघा तक के किसानों को एक लाख का मुआवजा मिलेगा और 5 बीघा से ऊपर के किसानों को 50 हजार का नकद मुआवजा मिलेगा।
- ` 6 महीने के अंदर खाद और बीज की खुदरा बिक्री बंद करवाएँगे और कोऑपरेटिव के माध्यम स उचित दाम पर किसानों को बेचा जाएगा और किसान के उत्पाद को भी कोऑपरेटिव हीं खरीदेगा, उसे बाजार से मुक्त करेंगे।
- 2 साल के अंदर सभी नहर एवं बांध का पक्कीकरण और नहर की पानी का खेतों तक पहुँचाने की गारंटी।
- किसानों के लिए प्रत्येक तीन महीने में प्रत्येक प्रखंड मे किसान चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें जिल अधिकारी किसानों की समस्या का निपटारा करेंगे।
- किसानों के लिए प्रखंडवार मंडी की व्यवस्था की जायेगी।
- हर वर्ष जिले में 10 उत्कृष्ट किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक–एक लाख रुपए दी जायेगी।
- कृषि संबंधित किसी खरीद–विक्री पर कोई टेक्स राज्य सरकार नहीं लगाएगी।
- एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी।
- ग्रामोद्योग के माध्यम से जो भी उत्पाद बनेंगे उसे कोऑपरेटिव खरीदेगा और सरकार मार्केटिंग एजेंसी उसे बाजार उपलब्ध कराएगी
- कृशि उत्पाद की खरीद–बिक्री के लिए सहकारी संघ की व्यवस्था की जाएगी।

स्वस्थ बिहार के तकाजेः

- प्रत्येक जिला अस्पताल को अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में बदलेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सुविधापूर्ण बनाएँगे।
- क्लीनिकल एक्ट को लागू करेंगे।
- तमाम निजी क्लीनिक और निजी अस्पतालों को प्रतिमाह कम से कम 30 प्रतिशत गरीब मरीजों का इलाज करना पड़ेगा। इन गरीब मरीजों की अनुशंसा सरकार की एक निजी एजेंसी द्वारा की जाएगी।

- असाध्य बीमारी के इलाज में सरकारी सहायता का प्रावधान किया जाएगा
- दो साल के अंदर आर्सेनिक एवं लोहयुक्त पानी से मुक्त की जायेगी।
- भ्रूण हत्या को हत्या करनेवाले चिकित्सक के विरूद्ध हत्या का केस किया जायेगा ५ चिकित्सक के योग्यता प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जाएगी। तीन महीना में स्पीड ट्रायल कर सजा की व्यवस्था। माता–पिता भी सजा का भागी बनेंगे।
- नकली दवा पकड़ें जाने पर दवा दुकान की लाईसेंस रद्द कर दी जाएगी तथा उसे 50 लाख का जुर्माना किया जाएगा।
- चिकित्सक को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा एवं प्रन्नोति में रोका जाएगा साथ हीं दो इंक्रीमेंट को रोका जाएगा।
- जन अधिकार पार्टी अंतरराष्ट्रीय मानदंड का ध्यान करते हुए प्रत्येक 1000 लोगों के लिए पांच बेड को भी सुनिश्चित करेगी।

गरीबी के विरुद्ध युद्ध मे...:

- पूरे राज्य में 300 जन आहार केंद्र खोले जाएंगे जहाँ 5रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन मिलेगा।
- सालाना 1 लाख से कम की आमदनी वाले प्रत्येक माता–पिता की बेटी की शादी के लिए सरकार 51 हजार सहायता राशि देगी तथा माँग करने पर 1 लाख रूपये का कर्ज बिना ब्याज का मुहैया कराएगी।
- बीपीएल और पीडीएस सिस्टम ऑनलाइन करके पूरी तरह से ठीक किया जाएगा।
- बीपीएल परिवारों को डीटीएच के साथ कलर टीवी और एक गाय दिया जाएगा।
- गरीबी को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा जिसमें आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा।
- सड़क के किनारे किसी भी प्रकार का खुदरा दुकान उसे सरकार सालभर के अंदर व्यवस्थित करेंगे।
- बीपीएल परिवार को सिंगल बर्नर वाली गेस चूल्हा दी जायेगी।
- प्रत्येक बीपीएल परिवार को वाटर फिल्टर दी जायेगी।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों सावित्री वाई फुले आश्रय गृह (रैनबसेरा) का निर्माण कराया जाएगा जो ये रैनबसेरा सम्पूर्ण सुविधायुक्त होगा जो रिक्शा चालक, ठेला चालक एवं कुली के उपयोग के लिए होगा।

- प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में मजदूर चौक की स्थापना की जायेगी जहां पर शेड एवं शौचालय की व्यवस्था होगी।

प्रशासनिक सुधार का मूल मंत्र– जनता मालिक अफसर नौकरः

- प्रत्येक पंचायत और वार्ड तथा ब्लॉक स्तर पर एक जनसमिति का गठन होगा जो विकास की योजना तय करेंगे तथा सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी की कार्यशैली पर निगरानी रखेंगे । साथ–साथ पंचायत, ब्लॉक अथवा जिला स्तर के पदाधिकारियों का तबादला इसी जनसमिति की अनुशंसा पर किया जाएगा इस समिति के सदस्यों में शिक्षक, वकील, मजदूर, छात्र, युवा, महिलओं और किसान होंगे तथा लोकपाल पंचायत और ब्लॉक जाकर ऐसे व्यक्तियों का चयन करेंगे जिनकी सामाजिक और बौद्धिका समझ परिपक्व हो और ये सदस्य भूत, वर्तमान और भविष्य में किसी भी समय में किसी भी राजनैतिक पार्टी के सदस्य न हों और इस समिति के चेयरमैन, चाहे पंचायत स्तर का हो या जिला का, हमेशा उत्कृष्ट किसान ही होंगे।
- पद्मनाभैया और सोलीसोरावजी केमेटियों के सुझावों को पुलिस सुधार के लिए लागू करेंगे ताकि राज्य की पुलिसिंग बेहतर हो सके और राज्य पुलिस ज्यादा दक्षतापूर्वक कम तनाव मे काम कर सकें।
- केसों के त्वरित निष्पादन हेतु कोटौ की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत, ब्लॉक, थाना, जिला कार्यालय, अस्पताल एवं सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी योजनाओं पर काबिज दलालों का सफाया 3 माह के भीतर किया जाएगा और लाभार्थी को पूर्ण लाभ पहुँचाया जाएगा।
- प्रत्येक सरकारी संस्थान जैसे थाना, ब्लॉक और जिला मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएँगे, जिनकी निगरानी केंद्रीय एवं सतत रूप से की जाएगी।
- प्रत्येक तीन किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस ओपी का निर्माण किया जाएगा।
- तीन महीने के अंदर शराब बंद किया जाएगा (ये आम जन के राय के आधार पर की जाएगी)।
- कानून की आड़ मे आम जन को प्रताड़ित करने वाले पुलिस अथवा अन्य सरकारी अधिकररियों पर सख्त और त्वरित कर्यवाही की जाएगी। बीडियो, सीओ, डीसीएलआर, थानेदार, कर्मचारी और कलेक्टरो का मनमर्जी वाला राज समाप्त और जनता का राज प्रभाव में आएगा।
- किसी भी आम जन के द्वारा ये शिकायत पाई गई भी थाना में उनका एफआईआर दर्ज नही किया जा रहा है वैसे थानाध्यक्ष तत्काल निलंबित कर दिया जाएंगे और जांच के आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है।

- बलात्कार केस में 15 दिनों के अंदर जांच एवं तीन महीने के स्पीड ट्रायल कर कठोर सजा की व्यवस्था की जायेगी।
- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च का निर्माण सड़क के बगल में अतिक्रमण कर नहीं बनायी जायेगी। धर्म स्थानों के लिए सरकार उपयुक्त जगह की व्यवस्था करेगी।
- जन आधारित प्रत्येक योजना को पारदर्शी बनाया जाएगा और ऑनलाइन किया जाएगा।
- खाद पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होने दी जायेगी ᵖ पकड़े जाने पर मामला दर्ज कर तीन माह के अंदर स्पीड ट्रायल कर कठोर दंड एवं दस लाख का जुर्माना किया जाएगा।
- लड़की के साथ छेड़–छाड़ करने पर पकड़े जाने पर मामला दर्ज कर 50 हजार की जुर्माना की जायेगी।
- जमाखोर को पकड़े जाने पर मामला दर्ज की जायेगी तीन माह के अंदर स्पीडी ट्रायल कर कठोर सजा के साथ स्टॉक के मूल्य का पांचगुणा जुर्माना की जायेगी।

विशेशः मैं बदलूंगा बिहार

- कोयल नहर परियोजना एवं पुनपुन नदी पर मोतेपुर बाँध बनाया जाएगा।
- जल, जंगल, जमीन पर आधारित उद्द्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- तीन साल के अंदर मिथिला, कोसी को फिश बाउल ऑफ इंडिया, के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मगध क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज़ दिया जाएगा ᵖ
- दूध आधारित उद्द्योग
- मक्का आधारित उद्द्योग
- केला आधारित उद्द्योग
- लीची आधारित उद्द्योग
- मिड–डे मील में गाँव के बेरोजगार युवकों को कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ा जाएगा और छात्रों को पैक्ड हाइजेनिक फूड दिया जाएगा।
- पारंपरिक रोजगार जैसे नाई, धोबी, मेष्तर, बढ़ई, कुम्हार, शिल्पकार, पशुपालन और मछुआरों की आजीविका पर कॉरपोरेट और स्थानीय व्यवसायियों का कब्जा हो गया है ᵖ ऐसे में उन पारंपरिक ने व्यवसायियों के बीच ऐसा समन्वयपूर्ण

व्यवसायिक रिश्ता बनाया जाएगा ताकि पारंपरिक रोजगार कर वालों को बेहतर रोजगार मिल सकें।

- पंचायत प्रतिनिधि और नगर निकाय प्रतिनिधियों को मुफ्त मोटरसाइकिल और 15000 रूपये तक मानदेय और एमएलए–एमपी के तर्ज पर प्रत्येक पंचायत और नगर प्रतिनिधियों को पंचायत और नगर विकास निधि का अधिकार दिया जाएगा।
- पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में 40 साल तक के उम्र वालों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- खर्चीली–शादी को रोका जायेगा ᵖ शादी में अधिकतम खर्च 20 लाख रुपया निर्धारित की जायेगी। यदि इससे ज्यादा राशि खर्च की जाएगी तो सरकार उस राशि पर लग्जरी टेक्स वसूल करेगी।
- अंतर्रजातीय विवाह करने वाले दंपति के नाम से 10 लाख रुपया अनुदान या फिर पत्नी को सरकारी नौकरी दी जायेगी ᵖ
- पर्यटन को बढ़वा देने के लिए सफाई, सुरक्षा और सड़क को दुरुस्त करेंगे। और बिहार को देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाएंगे।

घोशणापत्र समिति

जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक

नई दिल्ली